JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्यप्रदेष महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना का अध्ययन एवं मूल्यांकन

डॉ. एस.के.खटीक
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)
बरकतउल्ला विष्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

मीनाक्षी करयाम
षोधार्थी (वाणिज्य)
बरकतउल्ला विष्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिष्चित करना, उनके सम्मान एवं गरिमा की रक्षा करना तथा समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का वातावरण निर्मित करने के उद्देष्य से मध्यप्रदेष सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेष सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना इसी क्रम में महिला सषक्तिकरण की दिषा में एक अनूठी पहल है। महिला सषक्तिकरण की इस योजना का जनमानस में प्रचार करना तथा समाज में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच का वातावरण निर्मित करना ही इस षोधपत्र का उद्देष्य है।

मध्यप्रदेष सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी योजना के प्रदेष में क्रियान्वयन के 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रस्तुत षोधपत्र मध्यप्रदेष सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति के मूल्यांकन पर आधारित है।

षब्द कुंजी – समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं षैक्षणिक स्थिति, लिंगानुपात, लाडली लक्ष्मी योजना – उद्देष्य, क्रियान्वयन, प्रगति एवं संभावनाएं।

प्रस्तावना –

भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने के बावजूद भी सामाजिक व्यवस्थाएं उसे समानता का अधिकार देने में पूर्ण सफल नहीं हो सकी हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं का यह व्यवहार भारतीय

महिलाओं के लिये अपने आपको सक्षम सिद्ध करने में बाधक बन रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र व लगभग सभी राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्यप्रदेष सरकार द्वारा भी प्रदेष की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणामों का सम्पूर्ण देष में प्रचार–प्रसार भी हो रहा है।

वर्ष 2007 से वर्तमान तक 30 लाख से भी अधिक बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी हैं। केवल वर्ष 2023–24 में ही 2.99 लाख बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं। इस योजना पर वर्ष 2023–24 तक 1000 करोड़ रूपये से भी अधिक व्यय किये जा चुके हैं। प्रदेष में पुरूष–महिला अनुपात में कमी लाने का श्रेय इस योजना को दिया जा सकता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेष में प्रति 1000 पुरूषों पर 919 महिलाएं थीं, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 931 हो गई हैं। इस योजना को वर्ष 2014 में स्कॉच प्लेटिनियम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन के उद्देष्य –

मध्यप्रदेष में लाडली लक्ष्मी योजना को क्रियान्वित किये जाने के निम्न उद्देष्य हैं–

1. बालिका जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना।
2. प्रदेष के लिंग अनुपात में सुधार करना।
3. प्रदेश की बालिकाओं के षैक्षणिक स्तर में वृद्धि करना।
4. प्रदेश की बालिकाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
5. प्रदेश की बालिकाओं के भविष्य की मजबूत आधारषिला तैयार करना।

लाडली लक्ष्मी योजना हेतु पात्रता की षर्तें –

सामान्य प्रकरण हेतु लाडली लक्ष्मी योजना हेतु पात्रता की षर्तें निम्नानुसार हैं –

1. बालिका के माता–पिता मध्यप्रदेष के मूल निवासी हों तथा आयकरदाता नहीं हों।
2. बालिका के माता–पिता की दो या कम संतानें हों।
3. योजना में पंजीकरण से पूर्व बालिका के माता–पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।
4. यदि बालिका परिवार की प्रथम संतान है तो उसका जन्म 1 अप्रैल 2008 को अथवा उसके पष्चात् हुआ हो।
5. बालिका का पंजीयन जन्म के एक वर्ष के अंदर आंगनबाड़ी केन्द्र पर कराया हो।

लाडली लक्ष्मी योजना हेतु पात्रता की षर्तें –

विषेष प्रकरण हेतु लाडली लक्ष्मी योजना हेतु पात्रता की षर्तें निम्नानुसार हैं –

1. अनाथ बालिका की दषा में सम्बंधित अनाथालय अथवा संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के अनाथालय अथवा संरक्षण गृह में प्रवेष के एक वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु छः वर्ष होने के पूर्व योजना का लाभ पाने हेतु आवेदन किया गया हो।
2. दत्तक बालिका की दषा में दत्तक लेने वाले माता–पिता द्वारा बालिका को दत्तक लेने के एक वर्ष के अंदर किन्तु बालिका की आयु छः वर्ष होने के पूर्व योजना का लाभ पाने हेतु आवेदन किया गया हो।
3. जिस परिवार में अधिकतम दो संतानें हों तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई हो, उस परिवार के लिये बालिका के जन्म के पांच वर्ष के अंदर आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।
4. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन बालिकाओं के जन्म लेने पर तीनों बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा किन्तु माता–पिता को एक वर्ष के अंदर परिवार नियोजन अपनाना होता है।
5. ऐसे माता–पिता जो चिकित्सीय कारणों से बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन नहीं कर सके हैं अथवा परिवार नियोजन नहीं अपना सके हैं, वे बालिका के जन्म के दो वर्ष के अंदर जिला कलेक्टर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन –

लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ पाने हेतु बालिका के माता–पिता अथवा अभिभावक को आवष्यक दस्तावेजों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन कराना होता है। ऑनलाइन पंजीयन महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से कराया जा सकता है। परियोजना कार्यालय से दस्तावेजों का परीक्षण होने के उपरांत प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से षासन की ओर से 1,18,000 रूपये का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इस राषि का भुगतान ई–पेमेंट द्वारा निम्न प्रकार से किया जाता है –

तालिका – 1

लाडली लक्ष्मी योजना की भुगतान राषि का वितरण

अंतरिम भुगतान (रूपये में)				अंतिम भुगतान	कुल भुगतान
कक्षा 6 में प्रवेष लेने पर 2,000	कक्षा 9 में प्रवेष लेने पर 4,000	कक्षा 11 में प्रवेष लेने पर 6,000	कक्षा 12 में प्रवेष लेने पर 6,000	21 वर्ष आयु तथा कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित होने पर 1 लाख रूपये	1,18,000 रूपये

स्त्रोत – वार्षिक प्रतिवेदन, महिला एवं बाल विकास विभाग, वर्ष 2023–24

योजना के प्रावधानों के अनुसार बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर तथा कक्षा 12 की परीक्षा में सम्मिलित होने पर 1 लाख रूपये का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से किया जाता है। अंतिम भुगतान करने से पूर्व षर्त होती है कि बालिका का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में न हुआ हो। इस षर्त का उद्देष्य बाल विवाह की रोकथाम और बालिकाओं के समग्र विकास का मार्ग प्रषस्त करना है।

लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 –

लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पष्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, (जिसकी न्यूनतम अवधि दो वर्ष हो), प्रवेष लेने पर 25000 रूपये की प्रोत्साहन राषि दो किस्तों में दिये जाने का प्रावधान है।

योजना की उपलब्धियां –

मध्यप्रदेष में लाडली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन के 17 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2017–18 में 1.95 लाख बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई थीं और योजना पर 599 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके थे। वर्ष 2007 से वर्तमान तक 30 लाख से भी अधिक बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी हैं तथा योजना पर वर्ष 2023–24 तक 1000 करोड़ रूपये से भी अधिक व्यय किये जा चुके हैं। इस योजना से प्रदेष में पुरूष और महिला के बीच अनुपात में कमी आई है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेष में प्रति 1000 पुरूषों पर 919 महिलाएं थीं वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेष में प्रति 1000 पुरूषों पर 931 महिलाएं हो गई हैं। वर्ष 2022–23 में 1477 लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पष्चात् स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, (जिसकी न्यूनतम अवधि दो वर्ष हो), प्रवेष लेने पर प्रथम किस्त की प्रोत्साहन राषि 12500 रूपये के रूप में कुल 1.84 करोड़ रूपये प्रदान किये गये हैं।

निष्कर्ष –

मध्यप्रदेष सरकार द्वारा प्रदेष की महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेष सरकार ने कन्या के जन्म से लेकर उसके पालन पोषण, षिक्षा और कन्यादान तक की योजनाओं को अस्तित्व में लाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के विकास के लिये एक नई राह का निर्माण किया है। मध्यप्रदेष सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल रही है और देष के कई राज्यों ने भी इस योजना को एक मॉडल के रूप में अपनाया है।

संदर्भ –

1. मध्यप्रदेष का आर्थिक सर्वेक्षण, 2022–23, 2023–24
2. मध्यप्रदेष का आर्थिक परिदृष्य 2023–24
3. वार्षिक प्रतिवेदन, 2017–18, 2022–23, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.षासन

———————————